कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 3815 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 5-5-2018.

सेवा में,

संयुक्त अध्यक्ष,
मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0,
सेक्टर 28, नोएडा।

विषयः– मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5713 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या–02.04.2018 तथा इस कार्यालय के पत्रांक–3644/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–23.4.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक– 5061 /मी0क्षे0/33 दिनांक–30.04.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण प्रस्ताव तैयार कर, इस कार्यालय के पत्रांक–3644/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–23.4.2018 द्वारा चार प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियों का उल्लेख करते हुए, कमियों/अभिलेखो का निराकरण हेतु, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने पत्र संख्या– 5061 /मी0क्षे0/33 दिनांक–30.04.2018 द्वारा प्रस्ताव मूल में वापस किया गया हैः–

1- प्रस्ताव में संलग्नक अभिलेख सही क्रम में नहीं लगे हैं।
2- प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 की जिला स्तरीय एवं उप जिला स्तरीय की कार्यवाही की कायर्कवाही संलग्न नहीं है।
3- प्रस्ताव में संलग्न गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रमाणित नहीं है।
4- प्रस्ताव में मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण तथा Reclamation-plan संलग्न नहीं है।
5- प्रस्ताव में इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना नहीं की गयी है।
6- प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
7- प्रस्तावित वन भूमि का जियो रिफरेस्ड डीजिटल मैप जो के0एम0एल0 शेप फाईल में हो, की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
8- क्षतिपूरक वनीकरण का जियो रिफरेन्सड मैप जो के0एम0एल0 शेप फाइल में हो, की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
9- यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो लीज की अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम का निर्धारण का आकलन नहीं है।
10- प्रस्ताव में संलग्नक पृष्ठ संख्या 202 पर खतौनी सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

–पेज 2 पर–

11- प्रश्नगत परियोजना में कुल 5713 वृक्ष प्रभावित पृष्ठ संख्या 48 पर उल्लेख है जबकि पृष्ठ संख्या 49 से 163 तक सूची के अनुसार 5715 वृक्ष योग करने पर आ रहा है, स्पष्ट करें।

12- भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली प्रस्ताव की प्रति भारत सरकार के पत्रांक– 11–360 /2010–एफसी दिनांक–17.11.2016 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, के अनुसार प्रेषित की जाय। छायाप्रति मान्य नहीं है।

13- सम्बन्धित परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्रांक–एफ0नं0 7–69/2011–एफसी(पीटी) दिनांक–01.08.2017 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

14- प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 39 पर उल्लिखित गाटा संख्या–933क है जबकि पृष्ठ संख्या 180 पर संलग्न धारा 20 की गजट में 933 है। इसी प्रकार गाटा संख्या 3202 में 12.850हे0 एवं गजट में 3202 में 14.350हे0 उल्लेख है। अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाय।

15- वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्राम–कोटा व पड़रछ की भी कार्यवाही संलग्न की जाय।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की पांच मूल प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उपरोक्त कमियों में से बिन्दु संख्या–1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में उल्लिखित कमियेां को दूर करते हुए, पुनः पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

<u>संख्या 3815 अ/समदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप याचक विभाग से सम्पर्क स्थापित कर, उपरोक्त बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 11 व 14 के सम्बन्ध में आख्या तत्काल इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C